

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक-20.09.2024

संख्या-1/पी0-101/2022 का०- 6005 / अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर, देवघर के पद पर पदस्थापित श्री आशीष अग्रवाल, भा.प्र.से. (झा:2020) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक परियोजना निदेशक, समेकित जनजातीय विकास अभिकरण, सरायकेला-खरसावाँ के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-101/2022 का०- 6006 / अनुमण्डल पदाधिकारी, खूंटी के पद पर पदस्थापित श्री अनिकेत सचान, भा.प्र.से. (झा:2020) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि व्यवस्था, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-14 के तहत पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

संख्या-1/पी0-101/2022 का०- 6007 / अनुमण्डल पदाधिकारी, हुसैनाबाद (पलामू) के पद पर पदस्थापित श्री पीयूष सिन्हा, भा.प्र.से. (झा:2020) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि व्यवस्था, धनबाद के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-14 के तहत धनबाद जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

संख्या-1/पी0-101/2022 का०- 6008 / अनुमण्डल पदाधिकारी, चक्रधरपुर के पद पर पदस्थापित सुश्री रीना हंसदा, भा.प्र.से. (झा:2020) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक परियोजना निदेशक, समेकित जनजातीय विकास अभिकरण, गुमला के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-101/2022 का०- 6009 / अवर सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्रीमती शताब्दी मजूमदार, भा.प्र.से. (झा:2020) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, धालभूम (जमशेदपुर) के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-14 के तहत धालभूम (जमशेदपुर) अनुमण्डल के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

संख्या-1/पी0-101/2022 का०- 6010 / पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत सुश्री श्रुति राजलक्ष्मी, भा.प्र.से. (झा:2022) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, चक्रधरपुर के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-14 के तहत चक्रधरपुर अनुमण्डल के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

संख्या-1/पी0-101/2022 का०- 6011 / पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री रवि कुमार, भा.प्र.से. (झा:2022) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-14 के तहत देवघर अनुमण्डल के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।



संख्या-1/पी0-101/2022 का०- 6012 / पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत सुश्री दीपेश कुमारी, भा.प्र.से. (झा:2022) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, खूंटी के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-14 के तहत खूंटी अनुमण्डल के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।


संख्या-1/पी0-101/2022 का०- 6013 / पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री कृष्ण कांत कनवाड़िया, भा.प्र.से. (झा:2022) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, हुसैनाबाद (पलामू) के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-14 के तहत हुसैनाबाद अनुमण्डल के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

संख्या-1/पी0-101/2022 का०- 6014 / पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत सुश्री सुलोचना मीना, भा.प्र.से. (झा:2022) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर सदर (पलामू) के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-14 के तहत मेदिनीनगर सदर अनुमण्डल के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

संख्या-1/पी0-101/2022 का०- 6015 / पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत सुश्री प्रांजल ढांडा, भा.प्र.से. (झा:2022) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, जगन्नाथपुर (पश्चिमी सिंहभूम) के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-14 के तहत जगन्नाथपुर अनुमण्डल के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

2. इस अधिसूचना के क्रम में प्रभार रहित पदाधिकारी कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में योगदान करेंगे।


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(विनोद कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/पी0-101/2022 का०- 6015 / राँची, दिनांक 20.09.2024

प्रतिलिपि-नोडल पदाधिकारी, ई. गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची/महालेखाकार, झारखंड, राँची/सम्बन्धित कोषागार/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (तीन अतिरिक्त प्रतियों में)/ कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखंड भवन/मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड/मुख्य सचिव का कोषांग, झारखंड, राँची/राज्यपाल सचिवालय, झारखंड, राँची/सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची/महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/सहायक निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, झारखण्ड, राँची/झारखंड राज्य के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/ महाधिवक्ता, झारखंड, राँची/महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/ सचिव, झारखंड विधानसभा, राँची/ भूसम्पदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, झारखंड, राँची/राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड/सम्बन्धित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।